अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/251/ बाज० संजय नाराणियाँ V/s राजेन्द्र कुमार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/251 अप्रार्थी सं. 3 अनु० 4 श्री कृष्ण कुमार शर्मा श्री रामजीलाल शर्मा 1,2 -4A-5	

संजय नाराणियॉ बनाम राजेन्द्र कुमार वगैरह (251/2022)

7/10/22 प्रार्थना–पत्र वास्ते बाजदायरी प्रार्थना–पत्र (आदेश 41 नियम 19 व सपठित धारा 151 जा.दी.) प्रस्तुत हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01, 02 उपस्थित। प्रार्थना–पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2020 को वास्ते सुनवाई हेतु नियम थी। गत तारीख पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता के सगे भतीजे की बाई ऑख में कॉरनिया में टयूमर हो जाने के कारण ऑखो के डॉक्टर को दिखाने चले गये क्योंकि मरीज की स्थिति गंभीर थी,इसलिए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये और ना ही प्रार्थी को अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी बाबत् अवगत करवा पाये फलस्वरूप अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया पूर्व में नियत तारीख पेशियों पर प्रार्थी के अधिवक्तां नियमित रूप से उपस्थित होते रहे है लेकिन नियत तारीख पेशी दिनांक 12.11.2020 को उपस्थित नहीं होना परिस्थिति जन्य था। प्रार्थी के अधिवक्त दिनांक 12.11.2020 की अनुपस्थित सद्भाविक व परिस्थिति जन्य कारण पर आधारित थी और उत्पन्न परिस्थिति में उनका उपस्थित होना पूर्णतःअसंभव था ऐसी स्थिति में हुए व्यक्तिक्रम को न्यायहित में क्षमा किया जाना आवश्यक है। विधि निर्धारित समय सीमा 30 दिवस है लेकिन प्रस्तुत करने हुई देरी के सम्बन्ध में अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को रेस्टोर कर मूल अपील को नम्बर लिया जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिनांक 12.11.20202 को अपास्त फरमाते हुए प्रकरण को पुनः रेस्टोर फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.04.2014 को प्रथम बार, दिनांक 23.08.2018 को द्वितीय बार, दिनांक 10.10.2019 को तृतीय बार, दिनांक 12.11.2020 को चतुर्थ बार, दिनांक 25.11.2021 को पॉचवी बार इस प्रकार उनवानी अपील कई मर्तबा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में लंबित है।उनवानी प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। दिनांक 25.11.2020 को अपील खारिज स्वयं अधिवक्ता द्वारा मरीज को दिखाने के कारण हुई है जिस बाबत् कोई दस्तावेज डॉक्टर पर्चा या शपथ पत्र अधिवक्ता श्री रामवतार शर्मा द्वारा मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्रार्थना पत्र पूर्व की तरह पुनः बार बार विश्वास किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है इसलिए उनवानी प्रार्थना पत्र भारी हर्जे के साथ खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई, बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।प्रार्थी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति तथा कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं तथा प्रार्थना–पत्रों में हुए विलम्ब को उसकी एक सद्भावी त्रुटि ही मानी जानी चाहिए, इसलिए प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अदंर मियाद शुमार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प ...

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/251 बाजदायरी   संजय नराणिया व/s राजेन्द्र

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2022/251 अपीलार्थी नं. 3 अनु. 4 ...	
	श्री कृष्ण कुमार शर्मा श्री रामजीलाल शर्मा 1,2 GA-1	
लगातार	तत्पतश्चात् पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण कई वार अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी एवं मान्नीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनोको प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निरतारण किया जाना चाहिए। अतः न्यायहित में उक्त बाजदायरी प्रार्थना–पत्र (आदेश 41 नियम 19 व सपठित धारा 151 जा.दी.) को 1000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना–पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प ...	